

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15072026-274511
SG-DL-E-15072026-274511असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 97
No. 174]	DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948	[N. C. T. D. No. 97

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

फा. सं. 6/3/2018—न्यायिक/अधी0वि0/1862-1867.—राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में स्थित निम्नलिखित न्यायालयों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी या सभी अधिनियमनों के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करते हैं, अर्थात् —

- विशेष अनन्य न्यायालय संख्या 04, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली।
- विशेष अनन्य न्यायालय संख्या 05, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली।
- तथा विशेष अनन्य न्यायालय संख्या 06, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली।

आगे यह भी अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 12.09.2013 की अधिसूचना फा0 सं0 1/1/2012/अधी0वि0/1041-1045 के द्वारा पूर्ववर्ती नामित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 न्यायालय, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 22 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया था, को उस तिथि से निरस्त माना जाएगा, जिस तिथि से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश के माध्यम से पूर्वोक्त विशेष न्यायालय कार्यशील हो जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2026

F.No.6/3/2018-Judl./Suptlaw/1862-1867.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Delhi, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the following Courts at Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi, as Special Courts for the trial of offences under any or all the enactments specified in the Schedule to the National Investigation Agency Act, 2008, namely:-

1. Special Exclusive Court No. 04, Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi;
2. Special Exclusive Court No. 05, Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi;
3. and Special Exclusive Court No. 06, Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi.

It is further notified that the previously designated Court of Additional Sessions Judge-02, Patiala House Courts, New Delhi notified vide notification bearing no.F.1/1/2012/Suptlaw/1041-1045 dated 12.09.2013 as the Special Court under Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008, shall stand de-notified from such date when the aforesaid Special Courts are made functional by posting/transfer order issued by Hon'ble High Court of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.